भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

09.07.2014 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या : 55

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश

*55. श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में घरेलू निवेश पर्याप्त नहीं है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने के लिए विभिन्न पक्षों से सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) से (घ) तक सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

* * * * * * *

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

'परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश' के बारे में दिनांक 09.07.2014 को श्री असादुद्दीन ओवैसी द्वारा लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 55 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) जी, नहीं। देश में स्थापित किए जाने वाले नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों का वित्त-पोषण ऋण तथा इक्विटी के मिश्रण से किया जाता है। इक्विटी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के आंतरिक संसाधनों, तथा घरेलू बजटीय सहायता से की जाती है।

(ख) कुछ क्षेत्रों में, नाभिकीय विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दिए जाने के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत, नाभिकीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र में 49% की गुंजाइश के साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दिए जाने के बारे में सुझाव दिया गया था। तथापि, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) तथा (घ) वर्तमान नीति (समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति अप्रैल, 2014) के अनुसार, परमाणु ऊर्जा निषिद्ध क्षेत्रों की सूची के अन्तर्गत आती है। तथापि, नाभिकीय उद्योगों में, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों तथा अन्य संबद्ध सुविधाओं के लिए उपस्करों के विनिर्माण और अन्य आपूर्तियाँ उपलब्ध कराने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। घरेलू निवेश को बढ़ाने के लिए, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों नामत: नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) तथा नेशनल ऐलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड (एनएएलसीओ) के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं। नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यमों को लाइसेंस देने के उद्देश्य से, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन किया जाना सरकार के विचाराधीन है।

* * * * * * *